24/10/2025

निर्णित 30-9-19

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर, जिला बीकानेर

सरकार स्टेट बनाम श्री किसननाथ पुत्र नत्थुनाथ

किस्म मुकदमा – ~~आरसी.ए. 1954 की धारा 22~~
एल. आर. एक्ट 1956 की धारा 91

सम्वत 2076

मुकदमा नम्बर 03/2019 वर्ष

आदेश दिनांक	कार्यवाही विवरण	आदेश की तामील
12/9/19	पटवारी हल्का राजासर उर्फ करणीसर की रिपोर्ट पर पत्रावली मुरतीब की गई। मुताबिक रिपोर्ट अप्रार्थी ने ग्राम/चक राजासर उर्फ करणीसर के खसरा नं./मु.नं.मै. 910 की 9.61 है० गोचर मु० पायतन में 1.00 है० नरमा बाजरी तादादी 1.00 है० बीघा राजकीय भूमि पर सम्वत 2076 में नाजायज कब्जा कर काश्त कर ली। अप्रार्थी को धारा 22/91 के तहत नोटिस तितामी जारी किया जावे एवं भू–अभिलेख निरीक्षक को फसल कुर्क करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 25/9/19 को पेश हो। [signature]	
25/9/19	पत्रावली पेश हुई। जमादार द्वारा तामिल नही करवाई गई। नोटिस दुबारा जारी होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 30/9/19 को पेश हो। [signature]	
30/9/19	पत्रावली पेश हुई। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [signature]	

तहसीलदार (राजस्व)
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), लूणकरनसर

निर्णय

मिसल न. :– 03 /2019 दिनांक :– 30.09.19

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राजासर उर्फ करणीसर ने रिपोर्ट (पी – 14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फसल खरीफ सम्वत् 2076 में गैर सायल किशननाथ पुत्र श्री नत्थूनाथ जाति सिद्ध साकिन ढाणी पांडूसर ने ग्राम राजासर उर्फ करणीसर के ख.न. 910 रकबा 1.00 है. में नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है। सम्बन्धित अप्रार्थी को राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस प्रकरण दर्ज कर जारी किया गया जो कि बाद तामील शामिल मिसल किया गया। संबंधित गैर सायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषजनक नहीं होने के कारण से सम्बन्धित गैर सायल किशननाथ पुत्र श्री नत्थूनाथ जाति सिद्ध साकिन ढाणी पांडूसर को ग्राम राजासर उर्फ करणीसर के ख.न. 910 रकबा 1.00 है. में अतिचार करने पर राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है, तथा भू. राजस्व दर 2=00 का 50 गुणा रुपये 100=00 शास्ति से दण्डित किया जाता है तथा मौके से बेदखली व कुर्कशुदा फसल को नीलाम करने के आदेश दिए जाते हैं।

फसल नीलामी व बेदखली बावत संबंधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा तावान वसूली बाबत पटवारी हल्का को तथा मांग कायमी बाबत् टी.आर.ए शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.09.19 को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल होवें तथा रजिस्टर नम्बर से कम हो।

तहसीलदार (राजस्व)
लूणकरनसर

Scanned by CamScanner